प्रेस नोट

दिनांक - 28.04.2026, थाना को0कर्नलगंज

जनपद गोण्डा।

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा चोरी करने के 04 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व प्रभारी क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावच्या के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 234/26 धारा 305(A), 331(4) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस से संबंधित 04 अभियुक्तों 1. संदीप यादव पुत्र लल्लू उर्फ बाबा, 02. सूरज पाण्डेय पुत्र अशोक पाण्डेय, 03. तिलकराम पुत्र सीताराम मिश्रा, 04. शिवकुमार गुप्ता पुत्र राजबहादुर गुप्ता को बालपुर जाट से टेड़ी नदी की तरफ जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 अदद फाइबर मडगाड काला रंग, 10 अदद फाइबर वाइजर काला रंग , 1 अदद फाइबर पाइन, 10 अदद लोहे का ब्लाक, 16 अदद सिल्वर पालिस ब्लाक बरामद किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.04.2026 को वादी श्री सोनेलाल पुत्र गंगा प्रसाद निवासी सालपुर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कर्नलगंज पर सूचना दी गई कि उसकी दुकान बाबामोटर साईकिल सर्विस सेन्टर कस्बा बालपुर बाजार में है। दिनांक 24.02.2026 की रात कुछ चोरो द्वारा पीछे का दरवाजा तोड़कर समान चोरी कर लिए है। पता करने पर पता चला की संदीप यादव, सूरज पाण्डेय, तिलकराम, शिवकुमार गुप्ता द्वारा मेरा समान चोरी कर लिया गया है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 234/26 धारा 305(A), 331(4), 317(3) बीएनएस बनाम संदीप यादव आदि 04 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें आज दिनांक 28.04.2026 को थाना कोतवाली कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा घटना में संलिप्त 04 शातिर चोरों 1. संदीप यादव पुत्र लल्लू उर्फ बाबा, 02. सूरज पाण्डेय पुत्र अशोक पाण्डेय, 03. तिलकराम पुत्र सीताराम मिश्रा, 04. शिवकुमार गुप्ता पुत्र राजबहादुर गुप्ता को बालपुर जाट से टेड़ी नदी की तरफ जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 अदद फाइबर मडगाड काला रंग, 10 अदद फाइबर वाइजर काला रंग , 1 अदद फाइबर पाइन, 10 अदद लोहे का ब्लाक, 16 अदद सिल्वर पालिस ब्लाक बरामद किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. संदीप यादव पुत्र लल्लू उर्फ बाबा निवासी ग्राम रानीपुरवा जानकीनगर थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

02. सूरज पाण्डेय पुत्र अशोक पाण्डेय निवासी पोर्टरगंज थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

03. तिलकराम पुत्र सीताराम मिश्रा निवासी नेवाजेपुरवा थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

04. शिवकुमार गुप्ता पुत्र राजबहादुर गुप्ता निवासी पडरी शंकर बहराईच रोड थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 234/26 धारा 305(A), 331(4), 317(3) बीएनएस थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 10 अदद फाइबर मडगाड काला रंग

02. 10 अदद फाइबर वाइजर काला रंग

03. 1 अदद फाइबर पाइन

04. 10 अदद लोहे का ब्लाक

05. 16 अदद सिल्वर पालिस ब्लाक

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 मृत्युंजय सिंह

02. उ0नि0 सुधीर यादव
03. उ0नि0 सरद कुमार
04. हे0का0 सतीश सिंह
05. का0 रामजी शुक्ला
06. का0 पंकज कुमार

आपराधिक इतिहास सूरज पाण्डेय पुत्र अशोक पाण्डेय

01. मु0अ0सं0 708/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर गोण्डा
02. मु0अ0सं0 380/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 नगर गोण्डा
03. मु0अ0सं0 463/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर गोण्डा
04. मु0अ0सं0 491/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 नगर गोण्डा

आपराधिक इतिहास तिलकराम पुत्र सीताराम मिश्रा

01. मु0अ0सं0 691/2018 धारा 380 भादवि थाना को0नगर गोण्डा
02. मु0अ0सं0 143/2019 धारा 380/427/457 भादवि थाना को0नगर गोण्डा
03. मु0अ0सं0 578/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0नगर गोण्डा
04. मु0अ0सं0 788/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 नगर गोण्डा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 28.04.2026, थाना -नवाबगंज
जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा झपटमारी करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के पर्यवेक्षण में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा झपटमारी कर मोबाइल छीनने वाले अभियुक्तों 1. अहमद रजा अंसारी, 2. साहिबे आलम ,3. अब्दुल बली अंसारी को दुल्लापुर क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से छीने गये मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त काले रंग की एक अदद पल्सर मोटरसाईकिल UP43BD2269 बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 25.04.2026 को वादी जमील अहमद पुत्र स्व0 मावूद अहमद ग्राम चक सिवरहाँ थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज को सूचना दी गई कि दिनांक 25.04.2026 को समय करीब 13.25 बजे वह अपनी मोटरसाइकिल से दुकान का समान खरीद कर घर वापस जा रहा था की बाबापुरवा तालाब की पुलिया के पास पीछे से पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 03 अज्ञात व्यक्ति उसे ओवरटेक कर झपट्टा मारकर उसके हाथ से मोबाइल छीन लिए तथा मौके से भाग गये तथा छलपूर्वक उसके मोबाइल के माध्यम से बैक खाता से 55,000 हजार रूपये निकाल लिए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर नवाबगंज पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 27/28.04.2026 की रात को थाना नवाबगंज पुलिस टीम को दुल्लापुर क्रासिंग के पास रात्रि गश्त/चेकिंग के दौरान अभियुक्त- 1. अहमद रजा अंसारी, 2. साहिबे आलम, 3. अब्दुल बली अंसारी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से छीने गये मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त काले रंग की पल्सर मोटरसाईकिल UP43BD2269 बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण -
1. अहमद रजा अंसारी पुत्र अनवर अंसारी निवासी मो0 संचरही कस्बा व थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
2. साहिबे आलम पुत्र शाह आलम निवासी मो0 संचरही कस्बा व थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
3. अब्दुल बली अंसारी पुत्र अरसद अंसारी निवासी मो0 संचरही कस्बा व थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0 132/2026 धारा 304(2), 317(2), 61(2)क बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा

बरामदगी-
01. छीनी गयी मोबाइल फोन नीला रंग VIVO कम्पनी का।
05. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल काले रंग की पल्सर UP-43-BD-2269

गिरफ्तार कर्ता टीम-
1. उ0नि0 श्री पंकज यादव
2. उ0नि0 श्री रामचन्द्र सिंह यादव
3. हे0का0 नीरज सिंह
4. का0 अमित सिंह
5. का0 शैलेन्द्र सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 28.04.2026
जनपद गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन, 65 पुलिसकर्मी हुए प्रशिक्षित।

आज दिनांक 28.04.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन, गोण्डा परिसर में अग्नि सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के संबंध में एक व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का संचालन प्रतिसार निरीक्षक श्री अजय प्रताप सिंह द्वारा किया गया, जिसमें कुल 65 पुलिसकर्मियों को अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने एवं बचाव के तरीकों के बारे में प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को गैस सिलेंडर में आग लगने की स्थिति में त्वरित एवं सुरक्षित नियंत्रण के उपायों का व्यावहारिक प्रदर्शन कर बताया गया। साथ ही आग लगने के कारणों, उससे बचाव के उपायों तथा आपातकालीन परिस्थितियों में सतर्कता एवं त्वरित प्रतिक्रिया के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रतिसार निरीक्षक द्वारा बताया गया कि आग लगने की घटनाओं में घबराने के बजाय सूझबूझ से कार्य करते हुए सही तकनीक अपनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने उपस्थित पुलिसकर्मियों को फायर सेफ्टी उपकरणों के सही उपयोग एवं प्राथमिक अग्निशमन उपायों का अभ्यास भी कराया। इस अवसर पर उपस्थित पुलिसकर्मियों ने प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी करते हुए विभिन्न परिस्थितियों में आग पर नियंत्रण पाने के तरीकों का अभ्यास किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस बल को आपातकालीन स्थितियों के प्रति अधिक सक्षम एवं सजग बनाना है, जिससे किसी भी अप्रत्याशित घटना में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जा सके। अंत में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा सभी प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु निर्देशित किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।